28.02.2015

वकल अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट को सुनने एंव पत्रावली का अवलोकन कर मनन कर मनन किया। अपीलान्ट की ओर से अपील इस आशय की पेश की गई है कि ग्राम पंचायत तगावली ने आराजी खसरा नम्बर 175 , 220, 285, 299 वाके ग्राम समौला के संबध में अपीलान्ट के पिता मोहनसिंह बल्द हरगोविन्द के निधनोपरान्त मोहनसिंह के स्थान पर विरासतन नामा0 संख्यार 15 आदेश तारीखी 18.04.1975 तस्दीक किया था तथा उक्त नामा0 में अपीलान्ट को छोडकर अपीलान्ट के भाई कलुआ उर्फ पप्पू के पक्ष में तस्दीक किया था जिससे व्यथित होकर अपील प्रस्तुत की गई कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट की बैक पर बिना सूचना के तस्दीक किया गया था अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई रेस्पो0 संख्या 2 कलुआ स्व. मोहन सिंह के हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के तहत शेड्यूल 1 के उत्तराधिकारी थे तथा अपीलांट को उक्त नामा0 आदेश छोड कर नामा0 आदेश पारित किया गया है। आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का मौका नही दिया गया तथा ना किसी प्रकार की सूचना दी गई। कृषि केडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पर तथा अपने वकील द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का निरीक्षण करवाने पर प्रथम बार जानकारी हुई। जानकारी से विना विलम्ब अपील पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश तारीखी 18.04.1975 बावत नामा0 संख्या 15 वाके ग्राम समौला निरस्त किया जावे तथा पत्रावली रिमाण्ड की जावे।

अपील के साथ अपीलान्ट की ओर से नकल जमांबंदी खाता नं. 98, 99, 114 संवत 2067 से 2070 ग्राम समौला, नकल नामा0 संख्या 15 वाके ग्राम समौला, नकल जमाबंदी संतव 2034 से 2037 , नकल जमाबंदी खाता संख्या 41 संवत 2034–37 ग्राम समौला, नकल नामा0 संख्या 14 वाके ग्राम समौला जमाबंदी संवत 2034 से 2037, नकल नामा0 संख्या 30 वाके ग्राम सांडा संवत 2033 से 2036 पेश की।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रमाणित प्रति नामा0 संख्या 14 व 15 का अवलोकन किया उक्त दोनो नामा0 एक ही दिनांक 17.04.1975 को सरपंच ग्राम पंचायत तगावली द्वारा स्वीकार किये है। नामा0 संख्या 14 हरगोविन्द वल्द रामरतन कौम लोधा सा0 भैंसाख की विरासतन नरायन, भगवन्त, मोहन, मंगलसिंह पि0 हरगोविन्द कौम लोधा के नाम स्वीकार किया हुआ है तथा नामा0 संख्या 15 मोहन बल्द हरगोविन्द कौम लोधा की विरासतन कलुआ वल्द मोहन कौम लोधा सा0 भैंसाख स्वीकार हुआ है। इसके अतिरिक्त एक अन्य नामा0 संख्या 30 ग्राम सांडा हरगोविन्द पुत्र रामरतन कौम लोधा सा. देह खातेदार की विरासतन नारायनसिंह, भगवन्त सिंह, मंगलसिंह पि0 हरगोविन्द व मेघसिंह , पप्पू नाबा0 सरपरस्त मां रामदेवी कौम लोधा सा. देह खातेदार स्वीकार हुआ है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

अपीलान्ट ने बहस के दौरान नामा0 संख्या 30 मौहन सिंह की विरासतन अपीलान्ट व उसके भाई पप्पू के नाम सही स्वीकार होना कथन करते हुए नामा0 संख्या 14 केवल उसके भाई पप्पू उर्फ कलुआ के नाम गलत स्वीकार होना कथन किया है। नामा0 संख्या 30 को सही स्वीकार किया है। नामा0 संख्या 30 में मौहन सिंह की विरासत मेघसिंह व पप्पू पर प्रकान्त हुई है जिसमें मौहन, मेघसिंह व पप्पू को सा0 देह खातेदार यानि ग्राम सांडा का निवासी होना अंकित किया है जबकि नामा0 संख्या 14 में मोहन बल्द हरगोविन्द को साकिन भैंसाख अंकित किया है तथा मोहन की विरासत कलुआ पर प्रकान्त हुई है। कलुआ भी सा0 भैंसाख दर्ज हुआ है। अपीलान्ट की ओर से कलुआ और पप्पू एक ही व्यक्ति है तथा कलुआ अपीलान्ट का भाई है इस संबध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है। अपील की कार्यवाही एक समरी प्रोसीडिंग है। प्रथम दृष्टया अपीलान्ट के कथन स्वीकार योग्य नही है।

इसके अतिरिक्त अपीलान्ट की ओर से अपील, नामा0 स्वीकार होने के लगभग 37 वर्ष वाद प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की ओर से धारा 05 म्याद अधि0 के तहत कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही किया है। अतः अपील अपीलान्ट म्याद के बिन्दु पर भी खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट उपरोक्त विवेचन के आधार पर खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हस्व जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)